



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 05/15

निर्णय दिनांक:- 6.03.2018

- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 1. | भैरूसिंह | पुत्र/पुत्रियों शरेसिंह जाति राजपूत निवासी पंवारवाला<br>तहसील कोलायत जिला बीकानेर। |
| 2. | मालूसिंह |  |
| 3. | खेतसिंह  |  |
| 4. | गोमती    |  |
| 5. | गौरी     |  |
| 6. | नख्ती    |  |

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. शकुन्तला पत्नी महेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी मानकासर चक 12 डीओबीबी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08-12-2014  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:-

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 08-12-2014 जिसके द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि चक 12 डीओबीबी उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 के मुरब्बा नम्बर 239/4 के किला नम्बर 6, 14 ता 16 में 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि आराजीराज स्थित है व इसी मुरब्बे में अपीलांटगणों की किला नम्बर 4 व 5 खातेदारी भूमि है। जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की मुरब्बा नम्बर 239/12 में 17 बीघा भूमि जो चिपते मुरब्बे में स्थित है उसने मुरब्बा नम्बर 239/4 की 4 बीघा आराजी राज भूमि के स्मालपेच आवंटन के लिए आवेदन पत्र तहसीलदार कोलायत नं. 1 को दिनांक 22-11-2012 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा 12 डीओबीबी द्वारा मय नक्शा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मुरब्बा नम्बर 239/3 में सुवटी पत्नी रामधन की खातेदारी भूमि स्थित है व 239/12 में 17 बीघा भूमि रेस्पोजेन्ट के नाम स्थित है व इसी रिपोर्ट के पास अलग से नोट अंकित किया गया कि मुरब्बा नम्बर 239/4 के किला नम्बर 7 में 2500 वर्गफूट भूमि सहायक अभियन्ता डिस्कॉम जोधपुर के नाम सेट-अपार्ट है जिसका इंतकाल संख्या 214 दिनांक 01-12-2014 दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 238/3 में मालूसिंह वगैरा की 15एएए (2क) की खातेदारी स्थित है।

उन्होंने आगे बताया कि जब वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 239/4 में अपीलांटगणों की खातेदारी भूमि स्थित है ऐसी स्थिति में इसी मुरब्बे के किला नम्बर 6, 14 ता 16 की 4 बीघा भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोजेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बे में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि-धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराघात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बे में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोजेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं

बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि पटवारी द्वारा जानबूझ कर गलत रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शों में मुरब्बा नम्बर 239/4 में अपीलांट के धारण की भूमि को कहीं नहीं दर्शाया गया है। पटवारी का उक्त कृत्य मात्र रेस्पोंडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन कराये जाने व उनके हक में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने को दर्शाता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 356, आरआरडी 2012 पेज 338, आरआरडी 1998 पेज 319, आरबीजे 1996 पेज 255, 242, 76 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 239/4 के किला नम्बर 6, 14 ता 14 में कुल रकबा 4 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने

के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोजेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोजेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाइ जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि की खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को रेस्पोजेन्ट के आवंटन के बजाय उसकी खातेदारी को चैलेंज किया जाना चाहिए था। जैसा की अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांटअब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोजेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-12-2014 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 16-06-2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 12 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 239/4 के किला नम्बर 6, 14 ता 15 में 4 बीघा भूमि का स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट के मुरब्बे में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जाँच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बे में ही शेष भूमि अर्थात् 17 बीघा भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है। ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में न तो अपीलांट के धारण की भूमि का उल्लेख किया गया ना ही अन्य काश्तकारों को कोई नोटिस प्रदान किया गया है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित काश्तकार व अपीलांट जिसके धारण में इसी मुरब्बे में भूमि निहित होने पर भी अपीलांट को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन प्रथम वरियता के आधार पर अनुशंसा की गई है। जबकि अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 के नियम 14 के तहत स्माल पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बें में निहित अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रुटि है कारित करते हुए आराजी जैर का रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

(6) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट की अपील आशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-12-2014 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलाट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ०राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

